राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः– प.8(1) विधि–2/2002/ 447 जयपुर, दिनांकः 23.02.2017

आज्ञा

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जिला अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर एवं जयपुर जिला सहित कुल 7 स्थानों पर स्थाई लोक अदालत में 7 अध्यक्ष के पदों के सृजन की सहमति एतद्द्वारा निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. स्थाई लोक अदालत के इन स्थानों पर अध्यक्ष के पद पर सेवानिवृत जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
2. इन स्थाई लोक अदालत में नियुक्त अध्यक्षों को वेतन भत्तों का भुगतान The Permanent Lok Adalat (Other terms and conditions of appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003 के नियमों एवं इसके अन्तर्गत समय–समय पर भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार किया जायेगा।
3. इसका व्यय मद 2235–02–104–03–00 (गैर आयोजना) में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से किया जायेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी संख्या 101700356 दिनांक 22.02.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की गयी है।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया (वित्त), राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयुपर।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
9. रक्षित प्रत्रावली।

(लक्ष्मण सिंह राठौड़)
विशिष्ठ शासन सचिव, विधि